

FROM No. III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) वायतु..... मुकाम.....

..... बनाम.....
हुसैनराह खानपुराम वर्मा
किस्म मुकदमा सी.वा. 88, 188 नं. 76/2022 सन. 2022
Rt. Act

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/4/2022 23/05/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री KHAKIM</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt. Act</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/05/2022 को पेश हो।</p> <p>वादी पंडील उपरिप्यत/ प्रतिवादी/ लंबी/ 1 श्री कौर के पंडील श्री खेताराम जायसवाल द्वारा पंडालातनाम मय ईठवाली जबाबदार पेश किया गया जिसकी प्रति वादी पंडील को दी जाइए शामिल पत्रावली किया गया/ वादी पंडील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या- 1 एवं PW-1- हुसैनराह पुत्र बाबुराम जाति- जाट निवासी- दुगराक्षेत्री की दावी परचम मण्डल- सवाई परमासिंह तहसील- गिडग जिला- बाड़मेर व एवं मवाट PW-2 - मेधाराम पुत्र श्री उदाराम जाति- जाट निवासी- दुगराक्षेत्री की दावी तहसील- गिडग जिला- बाड़मेर के साक्ष्य पत्र</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर हुसैनराह</p> <p>23/05/2022</p> <p>SEIT</p> <p>23/05/2022</p>

सहायक कलक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पेश विधे गमे जिमे वामिल पसावली
विधा गमा। वारी वहील इतरा प्रतिवाही
संगला - 2 ले 6 से ले 3 विधा गमा जिमे
से विधी प्रधार की इतरा नही चाही
गई है वारी वहील की उपस्थित बरस
सुनी गई पसावली व पसावली के संलग्न
राजस्व रेड्डे 3) केवलोडन विधा गमा
वाड केवलोडन वारीग 3) वाड इतरा
से लिखा जाउर वामिल पसावली विधा
गमा। डिमा पर्या जारी होउर पसावली
पैमल वामार है, इज नम्बर ले 3 म है,
दाखिल इतरा है।

सहायक कलक्टर (SDC)
बायतु
जिला - बाड़मेर

अ. के.
हुक्म के
में जा

श्री
वादीगण

राजस्थान-सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु
(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 76/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हनुमानराम पुत्र बाबुराम, 2. जगमालराम पुत्र बाबुराम, 3. प्रभुराम पुत्र बाबुराम, 4. पूनमाराम पुत्र बाबुराम, जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर		1. बाबूराम पुत्र धनाराम, 2. अमराराम पुत्र धनाराम, 3. अनोपाराम पुत्र चैनाराम, 4. तेजाराम पुत्र चैनाराम, 5. पारुदेवी पत्नी चैनाराम, जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी, सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर 6. आरएमजीवी शाखा, सवाऊ पदमसिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

:- निर्णय :-

दिनांक : 23/5/2022


वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 14/749 रकबा 11.1774 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील बायतु खेत खसरा नं. 715, 716, 717, 992/718 रकबा क्रमशः 0.1214, 0.2104, 0.1052, 27.2677 हेक्टेयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज धनाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगाना जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं हनुमानराम पुत्र बाबुराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में मेघाराम पुत्र दुदाराम का शपथ पत्र PW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से पर्चा लगाना जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज धनाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 14/749 रकबा 11.1774 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील बायतु खेत खसरा नं. 715, 716, 717, 992/718 रकबा क्रमशः 0.1214, 0.2104, 0.1052, 27.2677 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 23/5/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हनुमानराम पुत्र बाबुराम,
2. जगमालराम पुत्र बाबुराम,
3. प्रभुराम पुत्र बाबुराम,
4. पूनमाराम पुत्र बाबुराम,
जाति-जाट, निवासी- डूंगराणियों की ढाणी,
सवाऊ पदमसिंह, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

1. बाबूराम पुत्र धनाराम,
2. अमराराम पुत्र धनाराम,
3. अनोपाराम पुत्र चैनाराम,
4. तेजाराम पुत्र चैनाराम,
5. पारुदेवी पत्नी चैनाराम,
जाति-जाट, निवासी-
डूंगराणियों की ढाणी, सवाऊ
पदमसिंह, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर
6. आरएमजीबी शाखा, सवाऊ
पदमसिंह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 76/2022.

निर्णय दिनांक :- 23/5/2022

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/5/22 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 14/749 रकबा 11.1774 हैक्टेयर व मौजा मदो की ढाणी, पटवार हल्का रतेऊ तहसील बायतु खेत खसरा नं. 715, 716, 717, 992/718 रकबा क्रमशः 0.1214, 0.2104, 0.1052, 27.2677 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23/5/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	